विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो अध्यायों में झारखण्ड सरकार के, वर्ष 2006-07 के वित्त एवं विनियोग लेखे का अवलोकन, तथा अन्य चार अध्यायों में, चयनित कार्यक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ सरकार तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा से संबंधित आठ समीक्षाएँ/लम्बी कंडिकाएँ और 41 कंडिकाएँ (पाँच सामान्य कंडिकाओं सहित) सम्मिलित हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन, सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ विवेक के आधार पर किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिये गए हैं तथा सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसाएँ की गई हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति तथा कतिपय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारी विभागों तथा सांविधिक निगमों के प्रदर्शन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ नगर विकास विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

1. राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति

वर्ष 20005-06 में 27 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा के विरूद्ध 2006-07 के दौरान 946 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य था। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि राजस्व व्यय में केवल सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जो राजस्व के आधिक्य का कारण बना।

राज्य का समग्र व्यय, 2005-06 के 14077 करोड़ रूपये से 22 प्रतिशत हास के साथ 2006-07 में 10936 करोड़ रूपये रहा। राजस्व व्यय (9064 करोड़ रूपये) कुल व्यय का 83 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 50 प्रतिशत उपभुक्त हुआ। वर्ष 2006-07 के दौरान, राजकोषीय दायित्वों (19417 करोड़ रूपये) में पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग दुगुना था। राजकोषीय घाटा, तथापि 2005-06 के 5603 करोड़ रूपये से 84 प्रतिशत हास के साथ 2006-07 में 910 करोड़ रूपये रहा, जो मुख्यतः ऋण एवं अग्रिमों के वितरण में तीव्र गिरावट के कारण था, जो 2005-06 के 3747 करोड़ रूपये से 89 प्रतिशत हास के साथ 2006-07 में 411 करोड़ रूपये रहा। इनके अलावा, राज्य को 1576 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियों का नुकसान वहन करना पड़ा जिसके मुख्य कारक जे.एस.ई.बी. द्वारा सी.पी.एस.यू. को समय पर बकाया भुगतान (934 करोड़ रूपये) में विफलता, स्थानीय निकायों का चुनाव (421 करोड़ रूपये) नहीं होना तथा राजकोषीय उत्तरदायित्वों एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम (221 करोड़ रूपये) को लागू नहीं किया जाना रहे।

कुल 16277.32 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध 11839.69 करोड़ रूपये का व्यय था। कुल 4437.63 करोड़ रूपये की बचत, 48 अनुदानों एवं विनियोग में 5683.50 करोड़ रूपये की बचत तथा तीन अनुदान एवं विनियोग मामलों में 1245.87 करोड़ रूपये के आधिक्य का प्रतिफल था।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की घोषणा सितम्बर 2005 में की गई। इसका मुख्य उददेश्य, ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल मानव कार्य करने को इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की निश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिविकोपार्जन सुरक्षा को बढ़ाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राज्य के 20 जिलों में फरवरी 2006 में प्रारंभ की गयी।

फरवरी 2006 से मार्च 2007 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि योजना के निर्दिष्ट उददेश्य पूरे नहीं हुए, जो मुख्यतः सर्वेक्षण नहीं कराये जाने, वार्षिक कार्य योजना एवं जिला संदर्श योजना नहीं बनाने, लक्षित लाभुकों के प्रति संवेदन शून्यता दिखाने, मुख्य कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने, योजना राशि का कुप्रबंधन एवं योजना निर्देशिका के विरुद्ध कार्यों का चयन करने इत्यादि कारणों से योजना प्रभावित हुई।

वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 711.55 करोड़ रूपये का व्यय हुआ तथा 5.20 करोड़ मानव दिवस का सृजन भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया जो आवश्यक 23.04 करोड़ मानव दिवस से 77.5 प्रतिशत कम था। सुनिश्चत ग्रामीण रोजगार एवं राष्ट्रीय काम के बदते अनाज योजना के तहत 2005-06 में सृजित मानव दिवस की तुलना में उक्त दोनों योजनाओं को प्रतिस्थपित करने वाला भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2006-07 में कम मानव दिवस का सृजन हुआ।

[कंडिंका 3.1]

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत किये जा रहे प्रयासो के संवर्द्धन हेतु, केन्द्र प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को, ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुविधा देने के लिए पुनर्जीवित (अप्रैल 1999) किया गया। इस कार्यक्रम के तहत यह आवश्यक था कि सभी ग्रामीण वस्तियों की पहुँच सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल तक हो, व्यवस्था एवं स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चत हो, प्रभावित बस्तियों में जल गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान हो तथा सुधारात्मक पहल को व्यवस्थित किया जाये।

वर्ष 2002-07 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि सर्वेक्षण सही ढंग से संचालित नहीं किया गया एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी। जिसके फलस्वरूप, पेयजल सुविधा से पूर्णतः या अंशतः वंचित वस्तियों के आच्छादन (पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना) का लक्ष्य निधारित नहीं किया जा सका एवं जरूरत के अनुसार आवंटन नहीं हुआ। कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण निधियों का विचलन हुआ तथा निधियों के कम खर्च एवं अत्यधिक अग्रेषण के कारण राज्य सरकार को 58.40 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ा। राज्य के 13.54 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की पहुँच पर्याप्त पेयजल तक नहीं थी। जल गुणवत्ता प्रभावित गाँवों के आच्छादन हेतु विशेष प्रयास नहीं किया गया। कार्यक्रम के

कार्यान्वयन का अनुश्रवण अपर्याप्त था। जल स्रोतों के स्थायित्व से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं था।

[कंडिंका 3.2]

भू-अभिलेखों का कमप्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

भू-अभिलेखों का कमप्यूटरीकरण, भारत सरकार की एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना को पूरे देश की भूमि के स्वामित्व, हस्तान्तरण, अधिग्रहण एवं विलयन के साथ-साथ सिंचाई सुविधा एवं प्राकृतिक आपदा संबंधी आँकड़ों (डाटाबेस) को तैयार/नवीकृत करने के उद्देश्य से 1988-89 में शुरू किया गया। यह योजना भू-स्वामी को भूमि का अधिकार पत्र प्रदान करने, भू-अभिलेखों को संरक्षित करने एवं भू-सुधार के बेहतर कार्यक्रम को तैयार करने में मददगार साबित होती। भू-अभिलेखों के कमप्यूटरीकरण कार्य को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने पहली किस्त के विमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की। योजना को राज्य सरकार के 22 जिलों के 210 अंचलों में कार्यान्वित किया गया। अनुपयुक्त सॉफ्टवेयर का विकास, विभिन्न समन्वयकों के बीच तारतम्य का अभाव एवं अनुश्रवण में कमी के कारण 9.99 करोड़ रूपये के व्यय एवं प्रथम किस्त की विमुक्ति के आठ वर्षों के पश्चात भी योजना का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जुलाई 2007 तक एक भी अधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जा सका।

[कंडिंका 3.3]

5. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) का कार्यकलाप

भारत सरकार ने 1954 में राँची, हैदराबाद तथा नीलोखेरी (हरियाणा) में तीन "विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 1967 में राँची स्थित संस्थान को बिहार सरकार को हस्तान्तरित किया गया। झारखण्ड गठन के पश्चात संस्थान का नाम (2002)राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) रखा गया। ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, संस्थान सरकारी कर्मियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण देता है तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं परामर्शी कार्यों को अंजाम देता है।

वर्ष 2002-07 के दौरान संस्थान के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि संस्थान के स्थापित किये जाने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया। प्रशिक्षण पर व्यय दिखाई गई राशि वास्तव में असम्बद्ध एवं अमान्य मदों पर खर्च की गई। विगत पाँच वर्षो में संस्थान द्वारा केवल दो अनुसंधान परियोजनायें संपादित की गयीं जबकि कोई भी परामर्शी परियोजना इसको नहीं दी गयी। संस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत ही अशक्त रहा जिसके कारण लिफ्ट के क्रय में जाली भुगतान, व्यक्तिगत जमीन पर सम्पति निर्माण में राशि का दुरूपयोग, एयर कण्डीशनर एवं डीजल जेनेरेटर की खरीद में अनियमित भुगतान जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ उजागर हुई।

[कंडिंका 3.4]

6. मेसो क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1972-77) के दौरान जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नित एवं उनको शोषण से बचाने के लिए जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) नीति विकसित की गयी। झारखण्ड में टी.एस.पी. के तहत 14 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के समूह को लिया गया जो 112 प्रखण्डों को आवृत करता था, जिन्हे स्थानीय तौर पर मेसो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।

वर्ष 2002-07 के दौरान मेसा क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप नहीं देने के कारण योजनाओं की गति, कुल आवंटन के विरूद्ध व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में निरंतर धीमी हुई। गरीबी रेखा के नीचे नहीं आने वाले जनजातियों को लाभ मुहैया कराया गया। लाभुकों की सूची का निर्धारण नहीं होने के कारण संपतियाँ अवितरित रह गई। योजनाएँ बीच में ही बंद कर दी गई एवं कुछ अन्य योजनाएँ पूर्ण होने की तिथि के तीन वर्ष पश्चात भी अपूर्ण थी। लक्षित लाभुकों को, क्या वांछित लाभ प्राप्त हुआ है, यह जानने के लिए योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्य संदेहास्पद थे क्योंके कार्य हाने के समर्थन में पर्याप्त सबूत प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया जा रहा था।

[कंडिंका 3.5]

7. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का कार्यकलाप

नये राज्य के निर्माण के पश्चात सितम्बर 2001 में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का गठन हुआ। पर्षद का मुख्य उददेश्य, जल एवं वायु प्रदूषण तथा जैव-चिकित्सीय एवं प्लास्टिक अपशिष्ट समेत ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना एवं उनमें कमी करने से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं लागु करना था। वन एवं पर्यावरण विभाग, केन्द्रक विभाग, पर्यावरण संबंधी निति निर्धारण एवं पर्षद के माध्यम से इनके नियंत्रण के लिए उत्तरदायी था। पर्षद एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी थी। पर्षद, एक संस्थान के रूप में, कभी भी अस्तित्व में नहीं आया तथा यह विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं को अंगीकृत करने, जल एवं वायु प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने में असफल रहा। जैसा कि नियमानुकूल था, पर्षद ने कभी भी अपना बजट-प्राक्कलन राज्य सरकार को नहीं भेजा, अतः राज्य सरकार ने कभी कोई अनुदान पर्षद को नहीं दिया। पर्षद निरंतर किराये के मकान में संचालित होता रहा तथा इसकी प्रयोगशालाओं में उपकरणों का घोर अभाव था। अभिलेखीकरण के अभाव में, पर्षद को यह ज्ञात नहीं था कि कितने उद्योग, अस्पताल इत्यादि प्रदूषण नियंत्रण सिद्धांतों का पालन किये बिना चल रहे थे। निरसरण एवं उत्सर्जन को समाप्त करने की सहमति प्राप्त करने हेत् बड़ी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन थे। विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वयन शिथिल था।

[कंडिंका 3.6]

नगर विकास विभाग में आंतरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण एक संस्थान के प्रबंधन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है कि संस्थान का संचालन प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्वक किया जा रहा है, वित्तीय प्रतिवेदन एवं संचालन संबंधी आँकड़ें विश्वसनीय हैं, लागू कानूनों एवं नियमों का अनुपालन हो रहा है, ताकि संस्थान के उद्देश्य पूरे हों।

वर्ष 2002-07 के दौरान नगर विकास विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के मूलयांकन के क्रम में आन्तरिक नियंत्रण के विभिन्न क्षेत्रों में किमयाँ उजागर हुई, जैसे नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना, बजट निर्माण में अनुशासन/नियंत्रण की कमी, कमजोर व्यय नियंत्रण, योजनाओं/कार्यक्रमों का अपर्याप्त क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में कमी। बजट संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप लेखा के विभिन्न शीर्षों में अत्यधिक बचतें हुईं। रोकड़ पंजी को समुचित ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा था। संहिता के प्रावधानों के विपरीत, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इकाइयों द्वारा अत्यधिक रोकड़ शेष को रोक कर रखा गया। विभाग के संचालन संवर्ग में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ थीं। सर्तकता तंत्र एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का पूरी तरह से अभाव था। अतएव विभाग, संस्थान में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता के प्रति आश्वरत नहीं था। कुल मिलाकर इसने राज्य के शहरी क्षेत्रों में वास करने वाले लोगों को उपलब्ध कराये जाने वाले नागरीय सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

[कंडिंका 5.1]

9. लेन-देन की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षेत्रीय इकाइयों के वित्तीय लेन देन की नमूना जाँच में हानि, गबन, अपव्यय, निष्फल व्यय, परिहार्य व्यय, निष्क्रिय व्यय आदि के मामले उदघटित हुए जैसा कि नीचे उल्लिखित है:-

- ग्रामीण विकास विभाग (68.77 लाख रूपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (0.83 लाख रूपये), मानव संसाधन विकास विभाग (2.10 लाख रूपये), तथा पथ निर्माण विभाग (68.77 लाख रूपये) में 98.09 लाख रूपये के गबन/दुर्विनियोजन/कपटपूर्ण भुगतान/धोखाधड़ी के मामले पाये गये।
 - [कंडिंका 4.1]
- ग्रामीण विकास विभाग (5.40 करोड़ रूपये), मानव संसाधन विकास विभाग (14.02 करोड़ रूपये), जल संसाधन विभाग (9.65 करोड़ रूपये), तथा वन एवं पर्यावरण विभाग (0.88 करोड़ रूपये) में 29.95 करोड़ रूपये के अधिकाई /अपव्यय/ निर्श्थक व्यय पाये गये।

[कंडिंका 4.2]

वन एवं पर्यावरण विभाग (2.86 करोड़ रूपये), गृह (जेल) एवं भवन निर्माण विभाग (3.27 करोड़ रूपये), ग्रामीण विकास विभाग (1.85 करोड़ रूपये), पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (1.43 करोड़ रूपये), और कृषि एवं गन्ना विकास विभाग (4.77 करोड़ रूपये) में 14.18 करोड़ रूपये का परिहार्य/निष्फल व्यय पाया गया।

[कंडिंका 4.3]

जल संसाधन/पथ निर्माण विभाग (7.71 करोड़ रूपये), गृह विभाग (1.70 करोड़ रूपये), नागर विमानन विभाग (0.60 करोड़ रूपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (11.77 करोड़ रूपये), मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (0.49 करोड़ रूपये) में 22.27 करोड़ रूपये का निष्क्रिय निवेश/स्थापना, निधियों का अवरोधन/ दुरूपयोग एवं निष्फल व्यय पाया गया।

[कंडिंका 4.4]

▶ वित्त विभाग (1.22 करोड़ रूपये), ग्रामीण विकास विभाग (2.51 करोड़ रूपये), वन एवं पर्यावरण विभाग (15.44 करोड़ रूपये), भवन निर्माण/गृह (जेल) विभाग (0.60 करोड़ रूपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (0.38 करोड़ रूपये) में नियामक मुद्दों एवं अन्य विन्दुओं पर 20.15 करोड़ रूपये के मामले पाये गये।

[कंडिंका 4.5]

कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे सारांशीकृत किये गये हैः

संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन तथा दूसरे कार्यालयों में पदस्थापित सहायक एवं कनीय अभियंताओं को अग्रिम देने के फलस्वरूप 63.46 लाख रूपये का दुर्विनियोग हुआ।

[कंडिंका 4.1.1]

छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के पश्चात अमान्य शिक्षण भत्ता की वसूली नहीं होने के फलस्वरूप 9.58 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

[कंडिंका 4.2.1]

परामर्शी की नियुक्ति के पश्चात भी ग्राम भागीरथी योजना के लिए निधियों की सुनिश्चतता में असफल रहने के फलस्वरूप परामर्शी को भुगतान के रूप में 9.65 करोड़ रूपये का अपव्यय हुआ।

[कंडिंका 4.2.3]

 प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेशों की अवहेलना कर एकेशिया प्रजाति के वृक्षों के रोपण के फलस्वरूप 87.92 लाख रूपये का अपव्यय हुआ।

[कंडिंका 4.2.7]

आवश्यकता का आकलन किये बिना कृषि निदेशक द्वारा कम्बाईन्ड हार्वेस्टर मशीन के क्रय के फलस्वरूप मशीन अप्रयुक्त रहे एवं 3.96 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

[कंडिंका 4.3.4]

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु निराकृत वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए क्रय किये गये वाहनों को अनाधिकृत अधिकारियों/ निजी संस्थाओं आदि को वितरित किया गया जिसके फलस्वरूप 10.85 करोड़ रूपये का दुरूपयोग हुआ जो आकस्मिकता निधि से आहरण के सिद्धांतों के प्रतिकृल था।

[कंडिंका 4.4.1]

वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग के लिए विचलन के विरूद्ध प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, 11.96 करोड़ रूपये का शुद्ध वर्तमान मूल्य की माँग करने में असफल रहे।

[कंडिंका 4.5.2]

10. वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

राज्य सरकार के नियंत्रण में 31 मार्च 2007 को सात सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम और एक स्वायत निकाय (सभी कार्यरत) थे। कार्यरत लोक उपक्रमों में सकल निवेश 31 मार्च 2006 के 2473.87 करोड़ रूपये से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 2550.95 करोड़ रूपये हो गया। कायरत लोक उपक्रमों को शेयर पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सहायता के रूप में बजटीय समर्थन 2005-06 के 325.61 करोड़ रूपये से घटकर 2006-07 में 55.70 करोड़ रूपये हो गया। किसी भी कम्पनी द्वारा 2006-07 का लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी सरकारी कम्पनियों के लेखें एक से चार वर्ष की अवधि से लंबित थे। सांविधिक निगम एवं स्वायत्त निकाय के लेखें 30 सितम्बर 2007 को क्रमशः पाँच एवं चार वर्षों से लंबित थे।

11. झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण

झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद एक अनुज्ञप्त उपयोगी संस्था है जो राज्य में बिजली के उत्पादन, संचरण एवं वितरण के लिए उत्तरदायी है। झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि परिषद को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक 1040.67 करोड़ रूपये मूल्य के 3,0933 लाख यूनिट ऊर्जा की हानि, अत्यधिक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षति (ए.टी.एण्ड सी.) के कारण हुई। उच्च तनन संचरण सेवा संबंधों को बहाल करने में विलंब के फलस्वरूप 5.71 करोड़ रूपये के संभावित राजस्व की हानि हुई। 32 सेवा संबंधों की धमन भटिठ्यों की क्षमता के कम मापी के कारण 12.46 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति हुई। परिषद समय पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहा जिसके कारण 95.99 करोड़ रूपये का राजस्व को परिषद के खाते में खराब वित्तीय नियंत्रण के कारण संग्राहक बैंकों द्वारा राजस्व को परिषद के खाते में

जमा नहीं करने या विलम्ब से जमा करने के कारण 12.26 करोड़ रूपये की ब्याज की हानि हुई।

[कंडिंका 6.2]

लेन-देन की लेखापरीक्षा के निष्कर्षः

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम को, केन्दू पत्ता की बिक्री में आरक्षित मूल्य की गलत संगणना के फलस्वरूप 43.96 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिंका 6.3.1]

दोषी फर्म के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं करने एवं अविवेकपूर्ण कार्यादेश निर्गत करने के कारण झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद को संवाहक (कंडक्टर) की अधिप्राप्ति पर 1.49 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

[कंडिंका 6.3.2]

मूल्य विचलन संगणना हेतु गलत आधार तिथि अपनाये जाने के फलस्वरूप ज.एस.ई.बी. द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को 60.68 लाख रूपये के अधिक दावे का भुगतान किया गया।

[कंडिंका 6.3.3]

तात्कालिक आवश्यकता के बिना वैगन टीपलर की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप 1.18 करोड़ रूपये के अवरोधन के साथ-साथ जे.एस.ई.बी. को 45.98 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

[कंडिंका 6.3.4]